डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR M.P. 470003
(A Central University)
सुरक्षा अधिकारी
मोबा. नं. :7697425313, फोननं. 07582–264527
E-Mail – csosagarutd264527@gmail.com

क्रमांक / सुरक्षा / 2024 / 85A

सागर, दिनांक:03.04.2024

# सूचना

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में निवासरत् छात्राओं और विश्वविद्यालय आवासीय परिसर में निवासरत् शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा परिसर की गरिमा को बनाये रखने के लिए दिनांक 05.03.2024 को सुरक्षा विभाग एवं कन्या छात्रावास–प्रतिपालिका मंडल की एक संयुक्त बैठक की गई। इस क्रम में विश्वविद्यालय आवासीय परिसर एवं कन्या छात्रावास में प्रवेश संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

1. विश्वविद्यालय के आवासीय चेक पोस्ट पर छात्रावास में निवासरत छात्राओं को उनके जो परिचित छोड़ने आते हैं, उन्हें चेक पोस्ट तक ही आने की अनुमति होगी। चेक पोस्ट से अंदर वे तभी जा सकेंगे जब उनके पास भारी सामान होगा, जिसे पैदल लेकर जाना संभव नहीं होगा। आटो एवं अन्य वाहन चालक इत्यादि भी पूर्ण विवरण दर्ज कर ही अंदर जा सकेंगे।
2. छात्रावासों के सुरक्षा प्वांइटों पर चुस्त–दुरुस्त एवं सजग सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे।
3. छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को परिचय पत्र अनिवार्य रुप से अपने पास रखना होगा तथा आवश्यकता होने पर सुरक्षाकर्मी को दिखाना होगा।
4. छात्रावासों में संचालित मेस कर्मचारियों के लिए प्रवेश हेतु सुरक्षा विभाग से गेट पास जारी होंगे। सभी मेस कर्मचारियों के पास गेट पास होना जरुरी है।
5. छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को ड्यूटी पर छोड़ने/लेने आने वाले परिचितों के वाहनों पर व्हिकल गेट पास लगाना अनिवार्य होगा, जो मांगे जाने पर सुरक्षा विभाग से प्रदान किये जायेंगे।
6. छात्रावासों में जाने वाले ई–मार्केट के व्यक्तियों को सुरक्षा चेकिंग प्वांइट (आवासीय चेक पोस्ट) पर रजिस्टर में पूर्ण विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। ई–मार्केट की डिलेवरी करने वाले व्यक्ति संबंधित छात्रावास के मुख्य द्वार पर ही संबंधित को सामान प्राप्त करायेंगे।
7. विश्वविद्यालय आवासीय परिसर में निवासरत समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुरक्षा चेक प्वाइंट पर आवश्यकता पड़ने पर परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
8. आवासीय चेक पोस्ट पर छात्रावासों में निवासरत छात्राओं से सुरक्षाकर्मियों द्वारा पूछे जाने पर परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
9. छात्रावासों में निवासरत छात्राओं को हॉस्टल परिचय पत्र चेक पोस्ट पर दिखाना अनिवार्य होगा।

Rashmi Singh

03-04-2024

10. सुरक्षा विभाग द्वारा जारी चेकिंग में सुरक्षाकर्मियों द्वारा छात्रावास की छात्राओं से पूछताछ के दौरान यदि छात्रायें दुर्व्यवहार करती हैं, तो सुरक्षा विभाग उनकी शिकायत छात्रावास प्रबंधन को अनिवार्य रुप से करेगा।
11. छात्राओं की छात्रावास प्रबंधन को शिकायत प्राप्त होने पर छात्रावास प्रबंधन उचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
12. किसी भी आकस्मिकता या इमरजेंसी की स्थिति में छात्रावास में निवासरत छात्रायें सुरक्षा विभाग के हेल्पलाईन नं.– 07582–264527 तथा 8889882068 पर संपर्क कर सकती हैं।

उक्त दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए सहयोग की अपेक्षा के साथ!

Rashmi Singh 3.4.24      03.04.2024

(डॉ. रश्मि सिंह)
चीफ वार्डेन
कन्या छात्रावास

(डॉ. हिमांशु कुमार)
सुरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. कुलानुशासक को सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियां को सूचनार्थ।
3. मीडिया अधिकारी को सूचनार्थ।
4. माननीय कुलपति महोदया के निज सचिव को सूचनार्थ।
5. कुलसचिव महोदय के निज सहायक को सूचनार्थ।

Rashmi Singh 3.4.24      03.04.2024

(डॉ. रश्मि सिंह)
चीफ वार्डेन
कन्या छात्रावास

(डॉ. हिमांशु कुमार)
सुरक्षा अधिकार